उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्या–   /XII/2013/ 92(15)/2010–टीसी–I
देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर,2013

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश जिला परिषद (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली,1966, एवं शासनादेश संख्या–5051 वी(2)/33–2–900(29)/85, दिनांक 25 जून,1986 उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (पॉचवॉ संशोधन) नियमावली,1987 एवं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (छठा संशोधन) नियमावली,1995 के अन्तर्गत विहित व्यवस्था के अधीन निम्नांकित कनिष्ठ अभियन्ताओं को अभियन्ता के रिक्त पदों पर वेतनमान–15600–39100–ग्रेड वेतन–5400 में अस्थाई रूप से कालम–3 में उल्लिखित चयन वर्ष के सापेक्ष नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	नाम	चयन वर्ष	तैनाती स्थल/जनपद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1–	श्री दुर्गा सिंह चौहान	2001–02	देहरादून	–
2–	श्री राजेन्द्र सिंह कठैत	2011–12	चमोली	–

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत अधिकारी संबंधित जनपदों में शासन के अग्रिम आदेशों तक यथावत तैनात रहेंगे।

3– उक्त अभियन्ताओं को एक वर्ष की परीविक्षा अवधि मे रखा जाता है तथा पारस्परिक ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।

4– उक्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि कालम–4 में उल्लिखित जनपदों में तत्काल योगदान देते हुए अपनी योगदान आख्या शासन/निदेशक,पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

5– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या–3271 /XII/2013/ 92(15)/2010–टीसी–I तद्दिनांक I

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त, गढवाल मण्डल।
2– निदेशक पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–149/दिनांक 28 अक्टूबर 2013 के क्रम में सूचनार्थ।
4– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जनपद– देहरादून/चमोली।
5– संयुक्त निदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत जनपद–देहरादून/चमोली।
7– वित्तीय परामर्शदाता जनपद–देहरादून/चमोली।
8– संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय लिथोप्रेस रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियो में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9– संबंधित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव

rraju go 22